रेरा ने बिल्डर के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

- बिल्डर पर 12 लाख वसूली का मामला है दर्ज
- सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर वारंट जारी हुआ

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्राधिकरण अध्यक्ष की अदालत ने 12 लाख रुपये की राशि वसूली नहीं होने के बाद यह आदेश दिया है।

पीड़ित घर खरीदार सुदर्शन सिन्हा ने बिल्डर के खिलाफ 12 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज कराया था। जुलाई 2024 में इसकी सुनवाई करते हुए रेरा ने राशि की वापसी के आदेश दिए थे। बिल्डर द्वारा राशि वापस नहीं करने पर पीड़ित ने इजराय वाद दायर किया।

इसकी सुनवाई करते हुए प्राधिकार ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया। जब उनकी तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।